न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/45/2017

उनवान

1. केदारनाथ पिता कुंज बिजारी शर्मा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 265/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.7.2011

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता कुंजबिहारी पुत्र केदारमल शर्मा को ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया में आराजी नम्बर 527 में दिनांक 23.8.68 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। जिसके लिए वादी के पिता कुंजबिहारी जी ने उक्त जमीन के नम्बर परिवर्तन हेतु तत्कालीन तहसीलदार, शाहपुरा के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जिस पर नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति हुई और आराजी नम्बर 527 रकबा 5 बीघा के बजाय आराजी नम्बर 768 में से 5 बीघा भूमि अलोट मानते हुए नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति हुई। उक्त नम्बर परिवर्तन के संबंध में ग्राम रघुनाथपुरा के श्री मदन आत्मज भागीरथ जाट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ अपील प्रस्तुत की । जिसको दर्ज किया जाकर दिनांक 4 मई 1970 को वादी के पिता कुंजबिहारी आत्मज केदारमल शर्मा के पक्ष में निर्णित करते हुए आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा भूमि के परिवर्तन की स्वीकृति को सही मानते हुए उक्त कृषि भूमि वादी के पिता को भूमि का कब्जा संभलाया गया तबसे वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज है। वादी के पिता का देहान्त हो जाने के पश्चात वादी आज दिन तक निरन्तर काबिज है किन्तु राजस्व रेकार्ड में आज भी उक्त कृषि भूमि बिलानाम दर्ज किया हुआ है और वादी के खाते में आज दिन तक उक्त कृषि भूमि को दर्ज नहीं किया गया, जबकि वादी ने विभिन्न तिथियों में अनेक बार प्रतिवादी के यहॉ उक्त कृषि भूमि को वादी के खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन किया ।

2. इसी बीच शाहपुरा तहसील में सेटलमेंट ऑपरेशन होकर ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा का नया नम्बर 1346 रकबा 1.42 हेक्टर बन गया है। इस आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हेक्टर रकबे में से वादी 1.26 हे0 भूमि आज भी काबिज है और उक्त कृषि भूमि को वादी के खाते में दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2002 को जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाडा के द्वारा प्रतिवादी को पत्र क्रमांक एफ–12(9) आर ए/02 दिनांक 6 जुलाई 2002 के द्वारा प्रतिवादी को भूमि वादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खाते में दर्ज करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा।

3. श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाडा के उक्त पत्र की अनुपालना में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.7.2002 को श्रीमान् जिला कलक्टर , भीलवाडा को उत्तर प्रेषित कर लिखा कि ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 768 के हाल नम्बर 1346 बने हैं और वादी का वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के 1.26 हे0 पर कब्जा है । उक्त पत्र के द्वारा प्रतिवादी ने भूमि वादी को सिपुर्दगी करने के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाडा से स्वीकृति मांगी थी। प्रतिवादी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाडा को भेजा उक्त पत्र के पश्चात दिनांक 2 अगस्त 2002 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय ने भी अपने पत्र कमांक आवंटन/2/388 के द्वारा लिखा था कि वादी को भूमि सिपुर्द करने एवं नियमानुसार अमल की स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं की । उसके पश्चात श्रीमान् जिला कलक्टर,भीलवाडा के द्वारा तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता रहा है किन्तु आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि को वादी के खाते में दर्ज नहीं किया गया जबकि वादी की उक्त कृषि भूमि को उक्त आवंटन की अनुपालना में वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी की ओर से श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाडा के कार्यालय तथा श्रीमान् एवं प्रतिवादी के कार्यालय में अनेक बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु कोई नतीजा नहीं निकला इसलिए मजबूर होकर वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है । अतः वादी को आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा जिसके नये नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 बने जिसमें से 1.26 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री फरमाई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी और अभिभाषक द्वारा प्रेषित की गई सूचना के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तथा अपील न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण प्रार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की । सर्वप्रथम दिनांक 20.2.2019 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रकरण में दिनांक 28.7.2011 को ही निर्णय पारित किया जा चुका है। इस पर अपीलार्थी ने निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। चूंकि प्रकरण जायदाद के खातेदारी अधिकारों व स्वामित्व से संबंधित है, इस कारण अपील पेश किया जाना न्यायसंगत है वरना अपीलार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जायेगा । अत अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराया था कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 557 रकबा 5 बीघा का आवंटन अपीलार्थी/वादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता को दिनांक 23.7.1968 को हुआ था तथा नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति होकर आराजी संख्या 768 रकबा 5 बीघा जिसके भू प्रबन्ध में नये आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने योग्य थी। किन्तु भूमिधारी द्वारा उक्त आराजी वादी के पिता के नाम तथा उनके बाद अपीलार्थी/वादी के नाम दर्ज रेकार्ड नहीं की गई। उक्त वाद स्वीकार योग्य था परन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अनेक बार प्रत्यर्थी को निवेदन किया तथा जिलाधीश महोदय, भीलवाडा को भी शिकायत की गई थी और उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने बाबत प्रार्थना करने और प्रत्यर्थी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करने के उपरान्त भी कि तथाकथित आवंटन हुआ और शीघ्र रेकार्ड में परिवर्तन कर दिया जाना है, यह आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा प्रदत्त करने के उपरान्त भी उक्त आराजियात अपीलार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड नहीं की गई। अपीलार्थी/वादी द्वारा दिनांक 26.7.2005 को एक रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0 दी0 भी प्रेषित किया गया , इसके उपरान्त भी अपीलार्थी/वादी के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज रेकार्ड नहीं होने से अपीलार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र अकारण ही खारिज करने में गंभीर त्रुटि फरमाई है। जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे इस तथ्य को इंकार नहीं किया गया है कि उक्त आवंटन वादी को हुआ है। केवल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मात्र जवाब दावे में आपत्ति यह है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी काबिज नहीं है। आवंटन होने के तथ्य को स्वीकार किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 3 भूमि आवंटन का आदेश प्रदर्श 6, अपील का निर्णय प्रदर्श 7, भूमि का परिवर्तन आदेश प्रदर्श 8 तथा प्रदर्श 10 लगायत 14 आवंटन और भू प्रबन्ध के उपरान्त कायम किये गये वर्तमान आराजी नम्बर 1346 पूरी तरह प्रमाणित थे। परन्तु तनकी नम्बर 1 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं कर केवल मात्र यह अंकित कर दिया कि कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। जबकि सभी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थे। इसके अलावा वादग्रस्त आराजी में पानी भरने का तथ्य अंकित कर तनकी नम्बर 1 का निर्णय अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध गलत तरीके से पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तालाब पेटे की भूमि को आधार बनाकर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, इस बिन्दु को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के आधार पर वादी/अपीलार्थी का वाद निरस्त किया है। जबकि वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से तालाब पेटे की भूमि नहीं होकर धारा 16 से प्रभावित नहीं है। राजस्व रेकार्ड तथा प्रत्यर्थी का जवाब में उक्त भूमि बिलानाम बीड अंकित है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 अपीलार्थी/वादी के खाते में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016 (1) पेज 559 एवं आर आर टी 2016 (1) पेज 340 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि आवंटित आराजी को आवंटी के नाम दर्ज करने की जिम्मेदारी राजस्व कार्मिकों की थी। जिसकी पालना उनके द्वारा नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थी का कब्जाकाश्त होने के उपरान्त खातेदारी प्रदान नहीं की गई है । जबकि यह कर्तव्य राजस्व कार्मिकों का है। अतः वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार अपीलार्थी को प्रदान कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

12. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जिसकी खातेदारी अपीलार्थी चाहता है उस पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त नहीं रहा है तथा वादग्रस्त आराजी तालाब पेटे की भूमि होकर आवंटन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थी/वादी के पिता कुंज बिहारी पुत्र केदारमल शर्मा को ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया में आराजी नम्बर 527 में दिनांक 23.8.1968 को 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया । उसके उपरान्त आवंटी कुजबिहारी ने उक्त जमीन के नम्बर परिवर्तन के लिए तत्कालीन तहसीलदार, शाहपुरा के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति हुई और आराजी नम्बर 527 रकबा 5 बीघा के बजाय आराजी नम्बर 768 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन मानते हुए नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति हुई। उक्त स्वीकृति आदेश प्रदर्श 3 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

15. अपीलार्थी के पिता को पूर्व में आवंटित आराजी नम्बर 527 में से 5 बीघा का नम्बर परिवर्तन के उपरान्त आराजी नम्बर 768 में से 5 बीघा भूमि के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये थे। जिससे व्यथित होकर श्री मगना आत्मज भागीरथ जाट द्वारा एडीश्नल कलेक्टर, भीलवाडा के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई। बाद विचारण न्यायालय एडीशनल कलेक्टर, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 4.5.1970 द्वारा अपीलाण्ट मगना आत्मज भागीरथ जाट की अपील खारिज की गई। उक्त निर्णय की प्रति प्रदर्श 6 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। उक्त निर्णय की कोई द्वितीय अपील या निगरानी की गई हो एवं अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश हुआ हो। ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है एवं न ही राजकीय पक्ष की ओर से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह न मानने का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी के पिता श्री कुंजबिहारी शर्मा को किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया आवंटन एवं उसके उपरान्त परिवर्तित भूमि आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा का आदेश यथावत रहा है।

16. अपीलार्थी के पिता कुंजबिहारी शर्मा को आवंटित भूमि आराजी नम्बर 527 रकबा 5 बीघा के उपरान्त तहसीलदार द्वारा नम्बर परिवर्तन कर आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा भूमि के आदेश को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवंटन यथावत रहना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं रेकार्ड से प्रकट होता है।

17. अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम परिवर्तत आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा का इन्द्राज किये जाने बाबत अपीलार्थी /वादी द्वारा जिलाधीश महोदय, भीलवाडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 4 है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि " प्रार्थी के पिता श्री कुंजबिहारी जी के नाम पर ग्राम रघुनाथपुरा में पुराने नम्बर पुराने नम्बर 768 में 5 बीघा भूमि नम्बर परिवर्तन से खाते दर्ज होना चाहिये था वो आज दिन तक खाते दर्ज नहीं हुई। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी वारिस है एवं काबिज है। इस आराजी के नये नम्बर 1346 बने हैं पूर्व में भी मैनें कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये मगर खाते दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रार्थना है कि उक्त पुराने नम्बर 768 के नये नम्बर 1346 में से ही खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। नकल प्रकरण संख्या 26/72, 196/68 व जमाबंदी नक्शा ट्रेश गत व हाल पेश है । " इसके अवलोकन से यह तथ्य भलीभॉति प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने उसके पिता कुंजबिहारी शर्मा को आवंटित आराजी के उपरान्त नम्बर परिवर्तन से आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा जिसके भू प्रबन्ध के उपरान्त आराजी नम्बर 1346 को आवंटी कुंजबिहारी शर्मा जो कि अपीलार्थी के पिता थे की मृत्यु हो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाने से अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने का तथ्य भी अंकित किया था। आवंटन के उपरान्त राजस्व कार्मिकों का दायित्व है कि वे आवंटिति के नाम आवंटित भूमि को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करे। इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016 (1) पेज 559 एवं आर आर टी 2016 (1) पेज 340 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 –नियम 18 में तहसीलदार को उक्त जिम्मेदारी प्रदान की गई है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी से दर्ज करने एवं उसके उपरान्त आवंटी का कब्जाकाश्त होने की स्थिति में खातेदारी अधिकार से आवंटी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज के कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है।

18. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 5 का अवलोकन किया गया । जिसमें उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा दिनांक 23.8.2002 को तहसीलदार शाहपुरा को वादग्रस्त भूमि श्री केदारनाथ शर्मा के नाम दर्ज करने बाबत लिखा गया है। उक्त पत्र में यह भी अकित किया गया है कि " श्री केदारनाथ शर्मा निवासी शाहपुरा को ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया की साबिक आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा भूमि 23.6.1968 को नम्बर परिवर्तन की स्वीकृति हुई के संबंधित पत्रादि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आवंटन/02/388 दिनांक 2.8.2002 से जिला कलक्टर महोदय को वास्ते भूमि सुपुर्दगी व नियमानुसार अमल करने की स्वीकृति दिये जाने हेतु भेजे गये तो प्रासंगिक पत्र से यह सूचना चाही गई है कि **इतने वर्षो तक भूमि का किस कारण आवंटन आदेशानुसार**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ ।'' इस पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन आदेश अनुसार वादग्रस्त आवंटित आराजी का राजस्व रेकार्ड में अकन नहीं किया गया है।

19. वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 9 जो कि पटवार हल्का ने तहसीलदार को लिखा है का अवलोकन किया गया । जिसमें अंकित किया गया है '' मेरी नियुक्ती इस पटवार मण्डल पर दिनांक 2.4. 2002 से हैं आज से पूर्व आवंटन शुदा भूमि का कब्जा नहीं सौंपने का मुझे कोई कारण ज्ञात नहीं है एवं राजस्व रेकार्ड में अब तक इन्द्राज नहीं किया इस बारे मे भी मै अनभिज्ञ हूँ। आवंटी कुंजबिहारी जी के बारे में जानकारी की गई तो उनका स्वर्गवास आज से 15–20 वर्ष पूर्व हो चुका है उनके पुत्र श्री केदारनाथ पिता कुंजबिहारी शर्मा है जो पेंशनर है। आवंटन शुदा भूमि के गत आराजी नम्बर 768 के हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 बना है जिस पर इस समय प्रार्थी केदारनाथ शर्मा ने हंकाई जुताई कर उक्त आराजी नम्बर 1346 में काश्त के लिए तैयार कर रखा है।'' इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त आवंटी का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी का होने की स्वीकारोक्ति प्रदर्श 9 में अंकित है ।

20. वादग्रस्त भूमि का कब्जा सौपने एवं नियमानुसार अमल स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत भी उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा दिनांक 2.8.2002 को जिला कलक्टकर महोदय, भीलवाडा को पत्र लिखा गया था। जो प्रदर्श 10 होकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा अंकित किया गया है कि '' पूर्व में प्रार्थी के पिता को ग्राम रघुनाथपुरा में आराजी नम्ब्र 527 रकबा 5 बीघा आवंटन हुई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी, उसके स्थान पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मौजा रघुनाथपुरा के बजाय मौजा रघुनाथपुरा में आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा परिवर्तन की स्वीकृति दी है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। वर्तमान में साबिक आराजी के हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 कुल बने हैं जिसमें से 1.26 हे0 पर प्रार्थी काबिजकाश्त है। भूमि वर्तमान मे सडक के नजदीक नहीं है किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। सक्षम न्यायालय में कोई वाद भी विचाराधीन नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भूमि सिपुर्द करने व नियमानुसार अमल स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। " उक्त पत्र दिनांक 2.8.2002 को उपखण्ड अधिकारी , शाहपुरा द्वारा जिला कलक्टर महोदय , भीलवाडा को लिखा गया था।

21. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पिता श्री केदारनाथ शर्मा को वादग्रस्त आराजी नम्बर 527 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 23.8. 1968 को किया गया था। उसके उपरान्त आवंटी श्री केदारनाथ द्वारा नम्बर परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नम्बर परिवर्तन करते हुए आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा भूमि की स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना के उपरान्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा आदेशित किये जाने के बावजूद एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई। जिस पर अपीलार्थी/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना पडा ।

22. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसमें पेरा नम्बर 1 को स्वीकार किया गया है। पेरा नम्बर 2 के संबंध में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से जवाब अंकित किया गया है कि " वादी के पिता को कब्जा संभलाने का तथ्य सिद्ध नहीं होता है। कब्जा वादी का नहीं है। उक्त आराजी के हाल नम्बर 1346 पर वादी काबिज नही होकर रामस्वरूप पिता मगना जाट व प्रहलाद पिता हजारी जाट का कब्जा अतिक्रमण से है। जो संवत 2062 के पी 14 से सिद्ध है। पेरा आंशिक स्वीकार है। पेरा नम्बर 3 के संबंध में जवाब अंकित किया कि " वादी का कब्जा वर्तमान में नहीं है व न ही निरन्तर काबिज रहा है। कब्जा भिन्न व्यक्तियों का रहा है। पेरा नम्बर 11 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अंकित किया गया है कि –" वाद वादी खारिज योग्य है । वादग्रस्त आराजी नम्बर 1346 जो कि 1.42 हे0 होकर किस्म जमीन बीड है पर वर्तमान में कब्जा नही है। गत वर्ष के पी 14 के अनुसार भी इस पर पेरा संख्या 2 के प्रत्युत्तर में वर्णित व्यक्तियों का कब्जा है। वर्तमान में रामस्वरूप पिता मगना जाट ने इस आराजी पर तिल काश्त किये हैं वादी का कब्जा नही है। वाद वादी खारिज योग्य है।

23. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की गई। जिसमें तनकी नम्बर 1 इस प्रकार कायम की गई है"आया वाद के पेरा संख्या 4 में वर्णित आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा जिसके नये नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 बने हैं जिसमें से 1.26 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने, राजस्व रेकोर्ड में नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी है।" उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर एक को इस प्रकार निर्णित किया गया है। "इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी का था साबिक रेकार्ड 527 रकबा 5 बीघा, परिवर्तन नम्बर 768 रकबा 5 बीघा की फोटो प्रति प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की गई। जो प्रमाणित नही होने से अपठनीय है अन्य कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे साबित हो सके कि वादी के पिता कुंजबिहारी के नाम भूमि आवंटन हुई हो। आवेदन पत्र, आवंटन कमेटी जिसके द्वारा भूमि का आवंटन किया गया, कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल नम्बर 768 के 1346 रकबा 1. 42 बने हैं किन्तु वादी का इस नम्बर पर कब्जाकाश्त हो। कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिरह हेतु नरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि पानी भरने से काश्त नहीं होती है पानी खाली होने पर काश्त की जाती है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है ।'' पत्रावली में निर्णय विद्वान एडीशनल कलेक्टर, भीलवाडा प्रदर्श 6 है, भूमि आवंटन को बखूबी साबित करता है । राजस्व कार्मिकों में पटवारी से उपखण्ड अधिकारी तक के द्वारा कब्जे की स्वीकारोक्ति प्रदर्श संलग्न होने के बावजूद इनका विवेचन तनकी नम्बर 1 के निर्णय में नहीं किया गया है।

24. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पत्र जो कि जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को लिखा गया है । जो कि प्रदर्श 8 है का अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 को निर्णित किये जाने से पूर्व नहीं किया गया है। उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से जिला कलक्टर, भीलवाडा ने उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को लिखा है कि '' उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपने इस कार्यालय को अवगत करया था कि वांछित रेकार्ड की तलाशी करवाई जा रही है जो उपलब्ध होते ही प्रेषित की जावेगी। उक्त पत्रावली आज दिन तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। जो उचित नहीं है ।'' चूंकि आवंटन से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में आवंटन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया है। परन्तु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपलब्ध दस्तावेज में संलग्न न्यायालय एडिशनल कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपीलाण्ट मगना पिता रामस्वरूप जाट द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 4.5.1970 खारिज किया गया है। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जो कि प्रदर्श 6 है जिसमें एडीश्नल कलक्टर ने अपने निर्णय में स्वयं यह तथ्य माना है कि '' अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेण्ट के हक में जो भूमि का आवंटन का आदेश हुआ था वह मौजा रूघनाथपुरा की आराजी नम्बर 527 रकबा 5 बीघा के लिए हुआ था किन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने से इस आराजी के बजाए आराजी नम्बर 768 में रकबा 5 बीघा भूमि रदोबदल करने की स्वीकृति हुई है । **देखने रेकार्ड जो आवंटन एवं रदोबदल हुआ है वह नियमित रूप से हुआ है**।'' इस आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि एडिशनल कलक्टर, भीलवाडा द्वारा आवंटन से संबधित दस्तावेज एवं उसके उपरान्त परिवर्तित आदेश से संबंधित दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 को इस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि न्यायालय एडिशनल कलक्टर, भीलवाडा द्वारा आवंटन से संबधित दस्तावेज एवं उसके उपरान्त परिवर्तित आदेश से संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया था। उसके उपरान्त उक्त पत्रावली खोजने पर नहीं मिली इसके लिए अपीलाण्ट को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का भी यही कथन रहा है कि आवंटित भूमि /परिवर्तित भूमि पर अपीलार्थी के पिता का कब्जाकाश्त रहा है एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा दिनांक 2.8.2002 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टकर महोदय, भीलवाडा को पत्र लिखा गया था। जो प्रदर्श 10 है। जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त होने का तथ्य अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त अपीलाण्ट का नहीं है। उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रदर्श 9 में भी पटवारी हल्का ने पेरा नम्बर 3 में यह तथ्य अंकित किया है कि '' आवंटन शुदा भूमि के गत आराजी नम्बर 768 के हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 हे0 बना है जिस पर इस समय प्रार्थी केदारनाथ शर्मा ने हंकाई जुताई कर उक्त आराजी नम्बर 1346 में काश्त के लिए तैयार कर रखा है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात का अवलोकन किये बगैर तनकी नम्बर 1 को निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थी एवं आवंटी का नही मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध तनकी नम्बर 1 निर्णित की है जिसे उचित नहीं माना जा सकता है।

25. तनकी नम्बर 2 '' आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 1346 जो कि 1.42 हे0 होकर किस्म बीड है वर्तमान में कब्जा नहीं है वर्तमान में रामस्वरूप पिता मगना जाट ने इस आराजी पर कब्जाकाश्त कर रखा है वादी का कब्जा नहीं है । वाद वादी खारिज योग्य है। ''उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा पेरोकार सरकार का था। उक्त तनकी को पेरोकार सरकार के पक्ष में मानते हुए निर्णित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त रहा है । इस संबंध में न्यायालय हाजा के निर्णय के पेरा नम्बर 24 में विवेचन किया जा चुका है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

26. तनकी नम्बर 2 को पेरोकार सरकार के पक्ष में निर्णित किया गया है । संवत 2062में आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 है0 में से 0.40 है0 में रामस्वरूप पिता मगना जाट द्वारा तिल काश्त व 0.40 है0 पर प्रहलाद पिता हजारी जाट रघुनाथपुरा सावणा हेतु हांका जाना अंकित है। संवत 2063 में भी 0.50 है0 में प्रहलाद पिता हजारी व 0.50 है0 में रामस्वरूप पिता मगना तथा रामदयाल पिता धुकल जाट द्वारा गैहूँ काश्त करना बताया जाकर उनके रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी पेरोकार सरकार के पक्ष में निर्णित की गई है। परन्तु यह इन्द्राज पूरे खसरा नम्बर 1346 रकाब 1.42 है0 बाबत नहीं है। अपनी फाईण्डिंग में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दो वर्षो की खसरा परिवर्तित संवत 2062, 2063 में इन्द्राज को आधार लिया गया है, जबकि अन्य राजस्व कार्मिकों द्वारा रिपोर्ट में कब्जा अपीलाण्ट का ही माना गया है। न तो पी–14 उपलब्ध है, न ही अन्य वर्षो की खसरा परिवर्तित । ऐसे में अपूर्णीय साक्ष्य के आधार पर अपीलाण्ट से भिन्न अन्य का कब्जा मानना उचित नहीं माना जा सकता है। अपने निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया है ''कि भूमि पेटे की होकर डूब में आती है । **राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुसार डूब की जमीनों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।**'' वादग्रस्त आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 की किस्म पेटा नहीं होकर बीड दर्ज रेकार्ड होने की स्थिति में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नम्बर परिवर्तित किये जाने के आदेश दिये गये थे। वादग्रस्त आराजी की किस्म तालाब पेटा दर्ज रेकार्ड नहीं है। बरवक्त आवंटन आराजी नम्बर 527 रकबा 5 बीघा आवंटी श्री कुंजबिहारी आत्मज केदारमल शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इस आराजी के बजाय आराजी नम्बर 768 में रकबा 5 बीघा भूमि रद्दोबदल करने की स्वीकृति जारी होना प्रदर्श 6 से स्पष्ट है। विद्वान एडिशनल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपीलाण्ट श्री मगना आत्मज श्री भागीरथ जाट की अपील के निर्णय में इस बाबत स्पष्ट अंकन किया है । जो राजकीय दस्तावेज होने से स्वप्रमाणित है। इस निर्णय दिनांक 4.5.1970 में अपीलाण्ट के पिता श्री कुंजबिहारी शर्मा को आराजी नम्बर 768 में रकबा 5 बीघा भूमि रद्दोबदल की स्वीकृति को सही माना है। प्रकरण में आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के बाद भी यह निर्णय पत्र दिनांक 4.5.1970 प्रदर्श 6 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिससे आवंटन आदेश की पुष्टि होती है तथा इस दस्तावेज को निर्णय में शामिल नहीं करने का कोई कारण स्पष्ट नही होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में डी डब्ल्यू 1 श्री मुकेश श्रोत्रिय के बयानों के आधार पर भूमि पेटा की होकर डूब में आना माना है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार डूब की जमीनों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकने का अंकन किया है। इस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी (सी) नं. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.1.2011 के अनुसार तालाब पेटे की भूमि में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकने का अंकन किया है। परन्तु पत्रावली में डी डब्ल्यू 1 के बयानों के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है कि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। बल्कि आवंटन के समय अन्य भूमि के काबिल काश्त नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 768 में 5 बीघा भूमि रद्दोबदल की अनुमति प्रदान की थी। जिसे मात्र पटवारी के बयान के आधार पर परिवर्तित किया जाना उचित नहीं है । भूमि को तालाब पेटा की होने अथवा प्रतिबंधित किस्म की होना पत्रावली में संलग्न किसी भी दस्तावेज से प्रकट नहीं होता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। तहसीलदार शाहपुरा (पेराकार सरकार) की जवाब दावे दिनांक 14.8.2006 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार वादग्रस्त आराजी संख्या 1346 जो कि 1.42 है0 होकर किस्म जमीन बीडा है। अतः रेकार्ड से वादग्रस्त भूमि तत्समय आवंटन योग्य होना प्रकट होता है तथा इस स्तर पर भूमि के आवंटन योग्य न होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर भी मात्र पटवारी बयान के आधार पर निष्कर्षण उचित नहीं कहा जा सकता है।

27. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये तनकी वार निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध समस्त साक्ष्य सबूतों पर गहनता से विवेचन कर तनकियात निर्णित नहीं की है। प्रदर्श 6 निर्णय विद्वान एडीशनल कलक्टर, भीलवाडा दिनांक 4.5.1970 में आवंटन बाबत स्पष्ट अंकन किया गया है। जिससे खसरा नम्बर 768 में 5 बीघा भूमि आवंटन की पुष्टि होती है। आवंटी श्री कुंजबिहारी शर्मा के देहान्त के पश्चात उनके पत्र केदारनाथ द्वारा जो कब्जाकाश्त के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें प्रदर्श 9 पटवारी हल्का रघुनाथपुरा द्वारा आवंटनशुदा भूमि के गत आराजी नम्बर 768 के हाल आराजी नम्बर 1346 पर प्रार्थी केदारनाथ शर्मा द्वारा हंकाई बुवाई कर उक्त आराजी नम्बर 1346 को काश्त के लिए तैयार किया जाना अंकित किया है। इस क्रम में प्रदर्श 12 तहसीलदार शाहपुरा के पत्र दिनांक 25.7.2002 अनुसार भी प्रार्थी केदारनाथ शर्मा का वर्तमान मे खसरा नम्बर 1346 रकबा 1.26 है0 पर कब्जा होना बताया है। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाडा को दिनांक 2.8.2002 द्वारा लिखे गये पत्र प्रदर्श 10 अनुसार हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 है0 में प्रार्थी का 1.26 है0 पर कब्जाकाश्त है । भूमि वर्तमान में सडक के नजदीक नहीं है, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है । सक्षम न्यायालय में कोई वाद भी विचाराधीन नहीं है। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट में अंकित है कि मुताबिक रिकोर्ड तहसीलदार भूमि सिपुर्द करने व नियमानुसार अमल स्वीकृति दिये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। यह सभी दस्तावेज विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न होकर प्रदर्श कराये गये हैं।

28. तनकी नम्बर 2 के निर्णय के विवेचन में प्रकट होता है कि संवत 2062में आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.42 है0 में से 0.40 है0 में रामस्वरूप पिता मगना जाट द्वारा तिल काश्त व 0.40 है0 पर प्रहलाद पिता हजारी जाट रघुनाथपुरा सावणा हेतु हांका जाना अंकित है। संवत 2063 में भी 0.50 है0 में प्रहलाद पिता हजारी व 0.50 है0 में रामस्वरूप पिता मगना तथा रामदयाल पिता धुकल जाट द्वारा गैहूँ काश्त करना बताया जाकर उनके रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी पेरोकार सरकार के पक्ष में निर्णित की गई है। परन्तु यह इन्द्राज पूरे खसरा नम्बर 1346 रकाब 1.42 है0 बाबत नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि मात्र खसरा परिवर्तित के आधार पर निष्कर्षण करने के बजाय सभी संलग्न दस्तावेजों का सारगर्भित विवेचन कर तनकी निर्णित करते। खसरा परिवर्तनशील में अंकित कब्जों के अलावा भी आवंटन आदेश अनुसार भूमि शेष बचती है तथा पटवारी, तहसीदार, व उपखण्ड अधिकारी के पत्रों से भी अपीलाण्ट का आवंटित भूमि पर कब्जा प्रकट होता है।

29. अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकरों की व्याख्या के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया । अपीलाण्ट के पिता श्री कुंजबिहारी शर्मा को आवंटन होने से एवं आवंटन की अपील दिनांक 4.5.1970 को खारिज होने रिकार्ड से साबित है । आवंटी को आवंटन होने एवं आवंटित भूमि के अन्य कब्जेदार द्वारा अपील करने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के उपरान्त भी आवंटन आदेश बहाल रखा गया । मूल क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 768 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा के नये नम्बर 1346 रकबा 1.42 है0 व 1345 रकबा 0.77 है0 बने हैं अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1346 रकबा 1.42 है0 में आवंटन आदेश अनुसार 5 बीघा भूमि की खातेदारी चाही है। अपीलाण्ट के बिलानाम भूमि में हुए आवंटन अनुसार गैर खातेदार आवंटन किये जाने के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना नहीं करना अथवा काबिजकाश्त नहीं होना पेरोकार सरकार द्वारा स्पष्ट साबित नहीं कराया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 23.8.68 के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारी द्वारा प्रदर्श दस्तावेज अनुसार अपीलाण्ट को 1.26 है0 पर काबिज काश्त माना जाना एवं भूमि सुपुर्द करने एवं नियमानुसार अमल स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रदर्शित है। अतः इस आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। **विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटी एवं उसके विधिक वारिसान द्वारा आवंटन से अधिक भूमि पर कब्जाकाश्त किया है। भूमि वर्तमान में बिलानाम दर्ज है। ऐसे में आवंटन आदेश के आज दिनांक तक प्रभावी होने तथा अपीलार्थी के काबिजकाश्त होने के उपरान्त भी आवंटित भूमि से अधिक भूमि के कब्जे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः भूमिधारक तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन से अधिक कब्जे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावे तथा आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने की जांच करें। यदि आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाये तो तहसीलदार आवंटन आदेश की निरस्तगी हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

30. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विवेचन नहीं कर तनकी नम्बर 1 व 2 के बारे में जो अपना अभिमत अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

31. अतः अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.7.2011 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय कुंजबिहारी शर्मा को किये गये आवंटन साबिक आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा के आधार पर आवंटन आज दिनांक तक अस्तित्व में पाये जाने से आराजी नम्बर 768 के हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.26 है0 को आवंटी कुंजबिहारी शर्मा के पुत्र केदारनाथ आत्मज कुंजबिहारी शर्मा को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

32. निर्णय आज दिनांक 4.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/45/2017

उनवान

1. केदारनाथ पिता कुंज बिजारी शर्मा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 265/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.7.2011

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/45/2019** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 4.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी सारस्वत वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 4.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.7.2011 को निरसत किया जाता है एवं अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय कुंजबिहारी शर्मा को किये गये आवंटन साबिक आराजी नम्बर 768 रकबा 5 बीघा के आधार पर आवंटन आज दिनांक तक अस्तित्व में पाये जाने से आराजी नम्बर 768 के हाल आराजी नम्बर 1346 रकबा 1.26 है0 को आवंटी कुंजबिहारी शर्मा के पुत्र केदारनाथ आत्मज कुंजबिहारी शर्मा को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस